राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान

एस– 6 अंकुर अपार्टमेंट ज्योति नगर एक्सटेंशन, जयपुर
मोबाइल– 9460387130, 9413340966,9887136771

दिनांक – 5/12/2011

अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
जयपुर, राजस्थान

विषय– जवाहर नवोदय विद्यालय, खेड़ली दौसा में बच्चों द्वारा किये प्रदर्शन पर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान की रिर्पोट

मान्यवर,

हाल ही में दिनांक 21 नवम्बर को इण्डिया न्यूज राजस्थान, टी.वी. चैनल पर सांय 7:30 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय दौसा में शिक्षक द्वारा बच्चों को जातिसूचक, शब्दों से प्रताड़ित करना तथा उनके साथ मारपीट करने की खबर को प्रसारित किया गया। इस खबर को आधार बना कर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान ने एक जॉच दल बना कर उस खबर की वास्तविकता को जाचॅने के दौसा भेजा गया। इस जॉच दल में निम्न सदस्य शामिल थे।

1. विजय गोयल (राज्य समन्वयक, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान)
2. श्री मिशाल जौहरी (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर)
3. सुश्री आकांशा पाराशर (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ युनिर्वसिटी गुजरात)
4. सुश्री शुभा जिन्दल (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ युनिर्वसिटी गुजरात)

अभियान आपको टीम ने मौके पर जाकर की गई जॉच रिपोर्ट तथा सुझाव सहीत अखबारों में प्रकाशित खबर की प्रति भेज रहा है।

आपसे निवेदन है कि इस पूरी घटना पर तुरन्त कार्यवाही की जाये तथा दोषीयों को वहॉ से हटाया जाये।

धन्यवाद

भवदीय

विजय गोयल

बच्चों को बनाया जा रहा है मोहरा

जवाहर नवोदय विद्यालय, खेड़ली दौसा में बच्चों द्वारा किये प्रदर्शन पर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान की रिर्पोट

हाल ही में दिनांक 21 नवम्बर को इण्डिया न्यूज राजस्थान, टी.वी. चैनल पर सांय 7:30 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय दौसा में शिक्षक द्वारा बच्चों को जातिसूचक, शब्दों से प्रताड़ित करना तथा उनके साथ मारपीट करने की खबर को प्रसारित किया गया। इस खबर को आधार बना कर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान ने एक जॉच दल बना कर उस खबर की वास्तविकता को जाचॅने के दौसा भेजा गया। इस जॉच दल में निम्न सदस्य शामिल थे।

5 विजय गोयल (राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान)
6 श्री मिशाल जौहरी (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर)
7 सुश्री आकांशा पाराशर (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ युनिर्वसिटी गुजरात)
8 सुश्री शुभा जिन्दल (लॉ स्टूडेण्ट, नेशनल लॉ युनिर्वसिटी गुजरात)

जवाहर नवोदय विद्यालय, खेड़ली दौसा

यह विद्यालय दौसा जिले के अर्न्तगत आता है। दौसा शहर से 6 किलो–मीटर दूर जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम खेड़ली में स्थित है। 1995 में स्थापित इस विद्यालय का अपना स्वयं का लम्बा चौड़ा परिसर हैं जहॉ बच्चों के रहने के लिए छात्रावास व विद्यालय दोनों ही परिसर में हैं। अलग–अलग खेलों के लिए खेल मैदान उपलब्ध है।
वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 525 विद्यार्थी हैं जिनमें से 130 बालिकाएं हैं। 28 अध्यापक तथा 20 कार्यालय कार्मिकों का स्टाफ कार्यरत है।

घटना जो प्रकाशित हुई

दिंनांक 21 दिस्मबर को इण्डिया न्यूज राजस्थान, टी.वी. चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय दौसा से सम्बन्धित खबर के अनुसार विद्यालय की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाले छात्र अपने विद्यालय के शारिरीक शिक्षक श्री बी.एल. मीणा पर आरोप लगा रहे थे कि वह '' विद्यालय में तथा छात्रावास में आकर बच्चों के साथ गाली–गलौच करते हैं जाति–सूचक शब्दों का उपयोग करके उन्हें अपमानित व प्रताड़ित करते हैं। इसमें विद्यालय में इन्टर हाउस फुटबाल मैच जो कि दो दिन पूर्व विद्यालय परिसर में ही खेला गया था उसका हवाला देते खबर में बताया गया था कि मैच समाप्ति के

उपरान्त एक समूह द्वारा मैच जितने की खुशी मना रहे थे, इस दौरान शारिरीक शिक्षक श्री बी.एल. मीणा ने बच्चों को रोकने का प्रयास किया तथा कुछ बच्चों को गाली–गलौच किया तथा कुछ बच्चों के साथ मार–पीट की। खबर में बच्चे यह भी आरोप लगा रहे थे कि शारिरीक शिक्षक श्री बी.एल. मीणा अकसर शिक्षण समय में व छात्रावास में आकर बच्चों के साथ गाली–गलौच करते हैं जाति–सूचक शब्दों का उपयोग करके उन्हें अपमानित व प्रताड़ित करते हैं। इस बारे में उन्होने कई विद्यालय के प्रिन्सीपल को इसकी शिकायत भी की है परन्तु इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।
उक्त खबर को आधार बनाकर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान ने घटना की जॉच करने का निर्णय लिया गया।

जॉच दल की रिर्पोट

अभियान का जॉच दल दिनॉक 22 नवम्बर को दोपहर 11:30 बजे विद्यालय में पहुॅचा। सर्व प्रथम दल ने विद्यालय के प्रिन्सीपल श्री आर.सी. पाल से मिला। आपसी परिचय व विद्यालय में आने के उद्देश्य को बताया गया। दो स्थानीय प्रकाशित अखबार राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर की खबर को आधार बना कर विद्यालय परिसर में हुई घटना के आरे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।
प्रारम्भ ने प्रिन्सीपल महोदय ने इसे सामान्य घटना बताया तथा किसी प्रकार की जानकारी देने में हिचकिचाहट दिखाई तथा घटना को मामुली बताते रहे। इसके उपरान्त उन्हें टी.वी. में प्रकाशित खबर के बारे में बताया गया तथा टी.वी. में बच्चों द्वारा तथा स्वयं के द्वारा तथा श्री बी.एल. मीणा द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में बताया गया। इस के उपरान्त प्रिन्सीपल महोदय ने स्वीकारा की हॉ हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ श्री बी.एल. मीणा द्वारा फुटबाल मैच की समाप्ति के उपरान्त गाली–गलौच किया गया था।
जब उन से जानना चाह कि क्या बच्चों ने पहले भी आपसे इस अध्यापक के द्वारा बच्चों के साथ गाली– गलोच करने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में शिकायते की गई थी? प्रिन्सीपल का कहना था कि हॉ एक–बार बच्चों ने आकर इस सम्बन्ध कहा जरूर था परन्तु लिखित में कोई जानकारी नहीं दी गई थी फिर भी मेंने सम्बन्धित अध्यापक को इस तरह की हरकतें नहीं करने के लिए कहा था।

इसके उपरान्त प्रिन्सीपल महोदय ने विद्यालय के कप्तान जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थी है उससे मिलवाया। इस पूरी घटना के बारे में उनसे जानकारी ली गई। कप्तान के अनुसार '' शारीरिक अध्यापक द्वारा विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए कुछ बच्चों को डॉटते जरूर है परन्तु किसी प्रकार की मार–पीट नहीं करते हैं। फुटबाल मैच के उपरान्त भी अध्यापक जी कुछ बच्चों को शौर मचाने तथा हुड़दगं करने पर रोका था किसी प्रकार की गाली–गलौच नहीं की गई। यह सारी घटना कुछ शरारती बच्चों की करतुत है।

पिड़ित बच्चों के साथ चर्चा

मध्ह्यान भोजन के दौरान उन बच्चों से मुलाकात की गई जो कि टी.वी. चैनल पर अपनी बात कह रहे थे तथा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। बच्चों से मुलाकात के दौरान उन्होने बताया कि '' इन बच्चों ने बताया कि फुटबाल मैच की तो आखरी घटना थी जब बात काफी हद तक सर्ब से बाहर हो गई थी तथा अध्यपाक द्वारा कुछ बच्चों निशाना बना कर उन्हे लम्बे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था उन्हें किसी न किसी बात पर उनके साथ मारपीट की जाती रही हैं चाहे वह विद्यालय के अन्दर हो या खेल का मैदान हो या फिर छात्रावास हो। उनके द्वारा कुछ बच्चों को चमार की औलाद, लंगडा, तेली आदि अपमान जनक शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा हैं। इसके बारे में उन्होने कई बार प्रिन्सीपल को शिकायत की है परन्तु काई कार्यवाही नहीं हुई। बच्चों के अनुसार शारिरीक अध्यापक उनको धमकाया जाता है कि ''मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूॅ 15 साल से इस विद्यालय में हूॅ प्रिन्सिीपल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैं।
बच्चों के अनुसार '' फुटबाल मैच की समाप्ति के उपरान्त जब एक समूह ने मैच जीत लिया था तो उस समूह के बच्चे उत्साहीत होकर शौर मचा रहे थे, शारिरीक शिक्षक श्री बी.एल. मीणा ने आकर बच्चों को डाटॅना चालू कर दिया बच्चे फिर भी नहीं माने तो कुछ बच्चों को गाली गलौच करने लगे। जब एक अध्यापक ने इसका विरोध किया तो उन्होने उनके साथ भी गाली गलोच किया, असल में वह नहीं चाहते थे कि हमारी टीम जीते इसके उन्होने खेल के दौरान भी बईमानी की फिर भी हम जीत गये। इससे वे और अधिक नाराज हो गयै। जब हमने इसकी शिकायत प्रिन्सीपल को की तो प्रिन्सीपल के सामने भी उन्होने कुछ बच्चों के साथ गाली गलौच की तथा मारपीट की कुछ अध्यापको ने बचाने का प्रयास किया तो उन्होने उनके साथ भी गाली गलोच की।

बच्चों के साथ हुई चर्चा के उपरान्त पुनः जॉच दल प्रिन्सीपल से मिला तथा बच्चों के द्वारा बताई गई बातों की सत्यता को जानना चाहा। इस बार प्रिन्सीपल रूख बदल चुका था। उन्होने स्वीकार किया कि हॉ विद्यालय में यह सारी घटना में कुछ अध्यापको की भुमिका है। विद्यालय में अध्यापको के अलग–अलग गूट हैं जिसकी वजह से यह सारी घटना हुई।

आखिर में विद्यालय दो अध्यापको से मुलाकात की गई एक अध्यापक श्री मनीष जो कि इतिहास पढ़ाते है उनके अनुसार' फुटबाल मैच के दौरान कुछ शौर शराबा हो रहा था मैने दो अध्यापको को जोर जोर से बोलते सुना था इससे अधिक मुझे जानकारी नहीं है। दुसरे अध्यापक श्री एल.पी. शर्मा के जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके अनुसार '' घर परिवार में तो इस तरह की बातें होती रहती है घर में जब चार बरतन एक साथ रहते है तो आपस में बजते ही इसमें ऐसा तो नही होता कि उनको अलग–अलग रख दिया जाता हैं। फुटबाल मैच के दौरान क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अन्य अध्यापको से मुलाकात नही हो पाई क्योकि वह अपनी–अपनी कक्षाओं में थे।

निष्कर्ष

इस जॉच दल ने लगभग चार घंटे विद्यालय परिसर में बिताऐ तथा इस दौरान हमने कई बच्चों से अलग–अलग बातचीत की समूह मे बातचीत की विद्यालय से पास होकर गये पुराने छात्रों से बातचीत की, इस पुरी घटना की रिर्पोटींग करने वाले प्रिन्ट मिडिया के संवाददाता तथा टी.वी. संवाददाता से बातचीत की, विद्यालय के प्रिन्सीपल व अध्यापको से बातचीत की। इन सारी बातचीत के उपरान्त यह दल इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि

- विद्यालय में जो घटना हुई वह शिक्षक–शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली थी।
- इस पुरी घटना के पीछे विद्यालय में अध्यापकों के आपसी गुटबाजी मुख्य कारण थी।
- अध्यापको द्वारा आपसी गुट बाजी के चलते बच्चों को मोहरा बनाया गया है।
- शारिरीक अध्यापक श्री बी.एल. मीणा द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना गाली गलोच करना तथा उन्हे जातिसूचक अपशब्दों से प्रताड़ित करना पाया गया।
- विद्यालय के प्रिन्सीपल स्थानीय अध्यापको के दवाब में किसी ठोस निर्णय नहीं कर पा रहे है।
- प्रिन्सीपल महोदय के साथ उनकी भाषा की समझ की कमी भी उनके निर्णय लेने की झमता को प्रभावित करती है क्योंकि वह केरल राज्य से है तथा स्थानीय हिन्दी भाषा की समझ कम है।
- प्रिन्सीपल महोदय का बच्चों के साथ सकारात्मक रिश्ता हैं बच्चों में उनके प्रति सकारात्मक व सहयोगपूर्ण रिश्ता है।

सुझाव

जॉच दल इस विद्यालय में इस प्रकार की घटनाओं की पुर्नरावृति को रोकने के लिए निम्न सुझाव देता हैं

- इन विद्यालयों में अध्यापको की नियुक्ति अधिकतम पॉच साल तक ही हो।
- विद्यालय में अध्यापको की एक समिति बनाई जाये जो कि समय–समय पर बच्चों के बातचीत करके इस प्रकार की घटना के बीज के उगने से पहले ही उस निर्णय ले तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोक लगायें।
- विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगीताओं, खेल कूद गतिविधियॉ व अन्य प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियॉ दौरान अलग–अलग छात्रावासों के आधार पर ना कराकर बच्चों के अलग–अलग समूह बनाकर की जाये जिनमें सभी छात्रावास के बच्चे शामिल हो।